

92/95

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक : प 12 (8) राज/वाद/10


जयपुर, दिनांक 10-8-15

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/
विभागाध्यक्ष एवं समस्त जिला कलेक्टर

परिपत्र

विभिन्न न्यायालयों में राज्य सरकार के विरुद्ध बढ़ते प्रकरणों में कमी लाने के लिए राजस्थान वादकरण नीति के तहत वाद दायर करने से पूर्व देय नोटिस की स्टेज पर ही राजस्थान योग्य विवाद का निपटारा करने हेतु विधि विभाग में विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। राज्य सरकार के विरुद्ध प्रकरण न्यायालय में दायर से पहले पक्षकार द्वारा विधिक नोटिस जिला कलेक्टर या सम्बन्धित विभाग के शासन सचिव को दिया जाता है जिस पर विभाग द्वारा रिकार्ड सहित तथ्यात्मक रिपोर्ट उक्त विशेष प्रकोष्ठ में परीक्षण हेतु भेजी जाती है ताकि नोटिस में दांछित अनुतोष की विषय वस्तु का यथासमय परीक्षण हो सके। लेकिन सामान्यतः यह देखने में आया है कि प्रशासनिक विभाग एवं जिलाधीश कार्यालय में प्राप्त होने वाले विधिक नोटिस के संबंध में या तो कोई कार्यवाही ही नहीं होती है या तथ्यात्मक प्रतिवेदन बिना रिकार्ड के तथा काफी विलम्ब से भेजा जाता है जिसकी वजह से वादकरण नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाती है।

समस्त प्रशासनिक विभागों एवं जिला कलेक्टरों को पूर्व में भी इस विभाग के पत्र क्रमांक 12 (8) राज/वाद/10/ दिनांक 18.05.2015 द्वारा इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया था लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई है। इसलिए इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान पुनः आकर्षित किया जाता है कि विधिक नोटिस प्राप्त होते ही 7 दिवस में तथ्यात्मक प्रतिवेदन मय सम्बन्धित अभिलेख विशेष प्रकोष्ठ विधि विभाग में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही जनवरी, 2015 से अब तक प्राप्त विधिक नोटिसेज की संख्या एवं इस संबंध में की गयी समयबद्ध कार्यवाही से अवगत कराने का श्रम करें।



(दीपक माहेश्वरी)
प्रमुख शासन सचिव